न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 29/2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025/94

प्रार्थीया	अप्रार्थीगण
1 रेखादेवी पत्नी भंवरलाल, जाति सोनी, निवासी–सांचौर, तहसील–सांचौर जिला–जालोर, राजस्थान	तेजाराम पुत्र विरदाराम वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 26.05.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सोहनलाल नैण उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही

:– निर्णय :– दिनांक :– 28.07.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वांके मौजा सांचौर, पटवार हल्का सांचौर के खेत खाता संख्या 671 के खसरा नंबर 4206/801 रकबा 0.5350 हैक्टेयर मुझ प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी का आया हुआ है लेकिन मौके पर प्रार्थीया का खरीद वक्त से ही बंटवाड़ा किया हुआ है। नकल जमाबंदी नक्शा ट्रैस व खरीद रजिस्ट्री वाद पत्र के साथ पेश है। उपरोक्त आराजी के एकल खातेदार पुनमाराम पुत्र विरदाराम से मुझ प्रार्थीया ने जरिये बैचान दस्तावेज के खरीद किया था जिसमें मुझ प्रार्थीया का 139/2675 हिस्सा अर्थात् 0.0278810 हैक्टेयर अर्थात 3000 वर्गमीटर नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शाय अनुसार 50 गुणा 60 का भूखण्ड रजिस्ट्री में दर्शाये पडोसान के अनुसार उक्त पड़ोसान के मध्य भूमि जरिये रजिस्ट्री बैचान दस्तावेज दिनांक 23.09.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 594 में पृष्ठ संख्या 7 क्रम संख्या 202403442103602 पर पंजिबद्व किया गया। मौके पर बेचानकर्ता ने बंटवाड़ा कर मुझ प्रार्थीया को खसरा नंबर 4206/801 के रकबा 0.5350 हैक्टेयर में से 0.0278810 हैक्टेयर अर्थात 3000 वर्गमीटर भूमि पर परिशिष्ट 'अ' के अनुसार कब्जा सुपुर्द कर दिया गय, तब से लगातार खरीदसुदा आराजी पर कब्जाकाश्त मुझ प्रार्थीया का निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थीया की खरीदसुदा भूमि को नक्शा ट्रैश में लाल रंग से दर्शाया गया है। नक्शा ट्रैस प्रदर्श 'अ' प्रार्थना–पत्र के साथ पेश है। मुझ प्रार्थीया का खातेदारी खेत खसरा नंबर 4206/801 रकबा 0.5[illegible]र में 0.278 हैक्टेयर निम्न पड़ोसान के बीच स्थित आराजी खरी[illegible] आई हुई है। उपरोक्त खेत का प्रार्थीया एवं अप्रार्थी के खरीद से पूर्व ही बंटवाड़ा [illegible] अलग अलग कब्जाकाश[illegible] रहा है जो बंटवाड़ा अप्रार्थी के खरीद से पहले किया हु[illegible] है। बंटवाड़ा माफिक प्रा[illegible] अप्रार्थी को ब्यान करते हुए कहा गया तो अप्रार्थी इन्कार हो गया, तब यह अस्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.01 11:46:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, साचौर)

Scanned with OKEN Scanner

का प्रार्थना–पत्र पेश है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जासुदा व खरीदसुदा आई होने से व अप्रार्थी संख्या 01 मौके पर आकर प्रार्थीया को उक्त आराजी छोड़कर जाने की मौखिक एलानियां धमकी दी, जबकि उक्त आराजी में प्रार्थीया का कब्जा काश्त आया हुआ होने से प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थीया के पक्ष में मेडआउट होता है जहां तक सुविधा के संतुलन का प्रश्न पैदा होता है भूमि प्रार्थीया की खरीदसुदा होने व शांतिपूर्वक बैरोकटोक लगातार कब्जाकाश्त प्रार्थीया का आया होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में। अपूरणीय क्षति का प्रश्न पैदा होता है प्रार्थीया लगातार शांतिपूर्वक बैरोकटोक प्रार्थीया के हिस्से की आराजी में आया होने से यदि प्रार्थीया को प्रार्थीया के पुश्तैनी हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी से जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद तक बहक प्रार्थीया विरूद्व अप्रार्थीगण सादिर फरमावें कि मौजा सांचौर में स्थित खसरा नंबर 4206/801 रकबा 0.5053 हैक्टेयर आराजी में से प्रार्थीया के हिस्से व कब्जा काश्त की आराजी में न तो अप्रार्थीगण स्वयं व न किसी अन्य से दखलंदाजी करावें तथा मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश फरमावे।

मैंने अधिवक्ता प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस सुनी एवं उस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पूर्णतयाः साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **28.07.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.01 11:46:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

Scanned with OKEN Scanner